रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234636
CG-DL-E-29032022-234636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1422] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944
No. 1422] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

का.आ. 1464(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ परामर्श से, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2540 (अ) तारीख 16 जुलाई, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

(i) “1 अप्रैल, 2020" अंकों और शब्दों, जहाँ कहीं वो आते हैं, के स्थान पर "1 अप्रैल, 2022" अंक और शब्द रखे जायेंगे;

(ii) पैरा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा को रखा जाएगा अर्थात् :-

“(5क) 3.5 टन और 7.5 टन के बीच सकल वाहन भार वाले और बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले वाहनों के लिए मानदंड, जैसा भी मामला हो, तालिका-1 या तालिका-2 में दिए गए समीकरणों में ईंधन खपत के मूल्य के साथ सुधार कारक '1.05' (एक दशमलव शून्य पांच) को गुणा करके लागू होंगे।;

(5ख) 7.5 टन और 12 टन के बीच सकल वाहन भार वाले और बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने वाले वाहनों के लिए मानदंड, जैसा भी मामला हो, तालिका-1 या तालिका-2 में दिए गए समीकरणों में ईंधन खपत के मूल्य के साथ सुधार कारक '1' (एक) को गुणा करके लागू होंगे।"

(iii) पैरा (7) के, उपपैरा (1) के उपरांत, निम्नलिखित पैरा को अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(1क) टिपर को इन मानदंडों के अनुपालन से छूट दी जाएगी।"

(iv) पैरा (7) के, उपपैरा (3) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 10/9/2021-ईसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में संख्यांक का. आ. 2540 (अ), तारीख 16 जुलाई 2019 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

S.O. 1464(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, vide number S.O. 2540 (E), dated the 16th July 2019, namely: -

In the said notification, -

(i) for the figures, letters and words "1st April, 2020" and "1st day of April, 2020", wherever they occur, the figures, letters and word "1st April, 2022", shall be substituted;

(ii) after paragraph (5), the following paragraph shall be substituted namely: -

"(5a) for the vehicles having Gross Vehicle Weight ranging between 3.5 tonnes and 7.5 tonnes and complying with BS-VI emission norms the norms shall apply by multiplying correction factor '1.05' (one point zero five) with value of Fuel Consumption in the equations given in the Table-1 or Table-2 as the case may be.;

(5b) for the vehicles having Gross Vehicle Weight ranging between 7.5 tonnes and 12 tonnes and complying with BS-VI emission norms the norms shall apply by multiplying correction factor '1' (one) with value of Fuel Consumption in the equations mentioned in the Table-1 or Table-2 as the case may be."

(iii) in paragraph (7), after sub-paragraph (i), the following sub-paragraph shall be inserted namely:-

"(ia) Tippers shall be exempted from the compliance of these norms."

(iv) in paragraph (7), sub-paragraph (iii) shall be omitted.

[F. No. 10/9/2021-EC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2540 (E), dated the 16th July 2019.